न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर (कैम्प कोर्ट तोलियासर)

मुकदमा नंबर: 53/2020 निर्णय दिनांक: 12.10.2021

ऑनलाईन नंबर:2020/00108

सीता पुत्री स्व. मघाराम जाति राजपुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर जरिये अपने मुख्त्यार आम चम्पालाल पुत्र स्व. मघाराम जाति राजपुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री ओमप्रकाश पंवार अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र सीता ने जरिये अभिभाषक मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीनी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ का मूल निवासी है जिसकी संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नंबर 795 तादादी 9.00 हैक्टेयर रोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित रहा है। उक्त खेत का विभाजन दिनांक 07.05.2018 को वाद संख्या 8/2015 चम्पालाल बनाम सीता आदि में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी ने अंतिम डिकी से किया गया उक्त निर्णय से खसर नंबर 795 के हिस्से पांति के अनुसार नये खसरे कायम हो गये जिसमें से खसरा नंबर से 1046/795 तादादी 0.0860 हैक्टेयर रोही तोलियासर प्रार्थीनी के हिस्से पांति में आया। प्रार्थिनी ने अपने इस खेत के संबन्ध में अपने सगे भाई चम्पालाल राजपुरोहित को मुख्त्यारआम नियुक्त कर अधिकार प्रदान कर रखे है जिसको इस प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों की जानकारी है। इस खेत के संबन्ध में यह कार्यवाही अपने मुख्त्यारआम के जरिये पेश कर रही है। यह है कि प्रार्थीनी के हिस्सा मे आये खेत खसर नंबर 1046/795 की भूमि का नक्शा तरमीम करते समय पटवारी हल्का द्वारा सही माप तोल करके नक्शा तरमीम कर प्रार्थीनी का रकबा 0.0860 हैक्टेयर पुरा दर्शा दिया परन्तु मौके पर माप नही किया गया। यह है कि प्रार्थीनी ने वर्ष 2019 में तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ के समक्ष अपने खातेदारी खेत की पेमाईश करवाने के लिए आवेदन किया तो तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ के आदेश क्रमांक भू.अ. 119/9137 की पालना में दिनांक 06.12.2019 हल्का पटवारी तोलियासर ने प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1046/795 रोही तोलियासर की पेमाईश करने हेतु मौके पर पहुचा। मौके पर प्रार्थीनी स्वंय मौजूद थी। यह है कि हल्का पटवारी ने प्रार्थीनी के खेत का नाप किया तो मौके पर प्रार्थीनी की भूमि नक्शा के अनुसार सीमाज्ञान करवाया गया परन्तु पडौसियो ने पट्टी बाड़ करने से मना कर दिया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका रिपार्ट तैयार की गई कि आज दिनांक 06.12.2019 को श्रीमान तहसीलदार के आदेश क्रमांक भू.अ. 119/9137 की पालना मे रोही ग्राम तोलियासर के खसरा नंबर 1046/795 में पहुचा मौके पर प्रार्थीनी सीता मौजुद थी। रोही ग्राम तोलियसार के

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

खसरा नंबर 1047/795 तादादी 0.6840 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1046/795 तादादी 0.0860 का मुताबिक राजस्व नक्शा सेट के पैमाने के अनुसार जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया। मौक पर खसरा नंबर 1046/795 कर रकबा मुताबिक राजस्व रिकार्ड 0.0860 हैक्टेयर प्रार्थीनी सीता की खातेदारी भूमि है परन्तु मौके पर पटवारी ने पत्थर गढी पडौसियो के मना करने पर नही करवाई ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी के पास खेत की पेमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। यह है कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ राजस्व रिकार्ड का संधारणकर्ता होने एवं तहसीलदार के आदेशानुसार ही पटवारी हल्का द्वारा वर्णित खेत की पेमाईश की फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई है इसलिए स्टैट आवश्यक पक्षकार है। यह है कि वर्णित खेत रोही ग्राम तोलियासर तहसील श्रीडूगरगढ में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र वास्तें पत्थरगढी न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीनी के कब्जे काश्त व खातेदारी के खसरा नंबर 1046/795 तादादी 0.0860 रोही तोलियासर श्रीडूंगरगढ की पेमाईश करवाई जाकर पत्थरगढी करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे व आदेश पालना अप्रार्थी से करवाई जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

प्रार्थीनी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। संक्षेप मे प्रार्थीनी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया गया।

आदेश

खेत खसरा नंबर 1046/795 तादादी 0.0860 रोही तोलियासर श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थीनी की पृथक से दर्ज है। खसरा नंबर 1046/795 के सीमा चिन्ह जो नक्शे में मौजूद है उनके आधार पर अन्यथा मौके के अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थी से जमा कर भूमि की पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 12.10.2021 कैम्प कोर्ट तोलियासर में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमीलपूर्ति नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो । आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)